जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त–1/2012/डी–२५।।   दिनांकः 27-8-12

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सैन्ट्रल पार्क एवं जविप्रा क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण उघानों को विभिन्न कार्यक्रमों हेतु अनुमति देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित की जायें:

1. पार्क में ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' के आधार पर अनुमति दी जाएगी।
2. पार्क में धूम्रपान एवं मद्यपान निषेध रहेगा।
3. पार्क में प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः निषेध रहेगा। केवल बायोडीग्रेबल ईको फ्रैण्डली प्रोडेक्ट ही प्रयोग में लिये जायेंगे।
4. पार्क में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सदभाव, प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों की ही अनुमति दी जाएगी।
5. प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आयोजन के सम्बन्ध में पुलिस आयुक्त जयपुर के कार्यालय से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. अनुमति देने से पूर्व एवं पश्चात् वरिष्ठं उद्यानविज्ञ द्वारा पार्क का निरीक्षण किया जाएगा। उचित पाए जानें पर वरिष्ठ उद्यानविज्ञ द्वारा अनुमति दी जाएगी। अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार सुरक्षा राशि लौटा दी जाएगी।
7. 1000 व्यक्तियों से अधिक लोगों के भाग लेने पर श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमति लेनी पड़ेगी।
8. आयोजकों द्वारा विज्ञापन से संबंधित केवल दो ही बेनर अस्थाई रूप से लगाये जाएगें, एक प्रवेश स्थल पर और एक कार्यक्रम आयोजन स्थल पर। इसके अतिरिक्त कोई होर्डिंग, पम्पलेट, पर्चियॉं इत्यादि आयोजन स्थल पर अथवा पार्क में नही लगाये जाएगें।
9. आयोजन स्थल एवं पार्क में किसी भी प्रकार की जन–धन हानि एवं क्षति के लिए आयोजक स्वंय जिम्मेदार होंगे।

10. आयोजको को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यक्रम के कारण पार्क के नियमित उपयोग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

11. प्रातः एवं सांयकालीन भ्रमण करने के समय लाउडस्पीकर तथा अन्य वाद्य यन्त्रों का उपयोग न किया जायें अथवा अत्यावश्यक होने पर न्यूनतम किया जायें जिससे की भ्रमण करने वालों को असुविधा न हों।

12. अगर किसी नियम एवं शर्त अथवा शुल्क सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयोजको को जयपुर विकास आयुक्त को अपील करनी होगी जिनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

13. राजस्थान सार्वजनिक पार्क अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के विरूद्ध कोई भी गतिविधि अनुज्ञेय नहीं होगी।

14. निम्नांकित पार्को के आगे अंकित किए गये बुकिंग शुल्क, विद्युत/सफाई शुल्क तथा सुरक्षा राशि निम्न प्रकार से रखी गई हैः–

क्र. सं.	पार्क का नाम	उपयोगकर्ता से लिया जाने वाला शुल्क				
		बुकिंग शुल्क (प्रतिदिन)		सफाई एवं विद्युत शुल्क (प्रतिदिन) Flat Rate Fixed	सुरक्षा राशि	
		निजी संस्था	सरकारी संस्था	निजी/सरकारी संस्था	निजी संस्था	सरकारी संस्था
	श्रेणी (अ)					
1	नेहरू बाल उद्यान, जवाहर सर्किल, सैन्ट्रल पार्क, वैशाली नगर नर्सरी पार्क, स्वर्ण जयन्ती पार्क, विद्याधर नगर	30,000/–	निःशुल्क	10,000/–	50,000/–	25,000/–
	श्रेणी (ब)					
2	महावीर पार्क, जे.एल.एन. मार्ग, शिवजी मन्दिर पार्क, निर्माण नगर, शुभम एन्क्लेव पार्क, सी–स्कीम, मरूधर नगर पार्क, टैगोर नगर, शालीमार बाग, शालीमार कॉलोनी, चित्रकूट, कृष्णा नगर, वैशाली नगर पार्क, गोम डिफेन्स कॉलोनी, सामुदायिक केन्द्र, हज हाउस, जलमहल	20,000/–	निःशुल्क	8,000/–	30,000/–	15,000/–

	श्रेणी (स)					
3	डी ब्लाक निर्माण नगर, कस्तूरबा नगर पार्क, सामुदायिक केन्द्र वैशाली नगर, चित्रकूट सै. 4 पार्क नं. 1, चित्रकूट सै. 4 पार्क नं.2, विद्युत नगर सी, नील कंट कालोनी पार्क, अजमेर रोड, गंगा सागर बी, वैशाली नगर, नेमी सागर बी पार्क, चित्रकूट सैक्टर नं 3, 21 साउथ सामुदायिक केन्द्र, झोटवाड़ा, संजय नगर बी झोटवाडा सामुदायिक केन्द्र, शान्ति नगर, झोटवाडा, विघाधर नगर सैक्टर नं. 3 पार्क नं. 1, किशनबाग नया खेडा, सैन्ट्रल स्पाईन वीएनपी, विद्याधर नगर, 21 साउथ निवारू रोड, झोटवाडा ,बजाज नगर एन्क्लेव प्रथम, बजाज नगर एन्क्लेव द्वितीय, लाल बहादुर पार्क जे.एल.एन. मार्ग, विद्युत अभियन्ता मालवीय नगर सी ब्लाक, त्रिवेणी नगर सामुदायिक केन्द्र, शान्ति नगर दुर्गापुरा, पुष्पांजलि पार्क, महेश नगर, 10 बी स्कीम पार्क, गोपालपुरा बाईपास, मंगल विहार पार्क, गोपालपुरा बाईपास, पटेल नगर जोन –8, मुहाना मंडी रोड, न्यू सांगानेर रोड	10,000/–	निःशुल्क	5,000/–	20,000/–	10,000/–

यह आदेश जयपुर विकास आयुक्त महोदय से पुष्ट हैं।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपरु।
2. ~~निजी सचिव, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।~~
3. निदेशक (अभियान्त्रिकी–I/II), जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त(भूमि/पूर्व/पश्चिम/पीआरएन/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
5. समस्त उपायुक्तगण(जोन–1 से 19), जविप्रा, जयपुर।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, जविप्रा, जयपुर।
7. वरिष्ठ उघानविज्ञ, जविप्रा, जयपुर।
8. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, जविप्रा, जयपुर।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
10. रक्षी पत्रावली।

उपायुक्त जोन–1,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।